UPBJ010023872016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1 बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

सत्र परीक्षण संख्या– 214/2016

सरकार बनाम संजय गुप्ता आदि

मुकदमा अपराध सं0 1103/2012
धारा–147,364/149,302/149,201 भा0दं0सं0
थाना– कोतवाली शहर बिजनौर
जिला– बिजनौर।

दिनाँक 11–02–2026

01• पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण राहुल गुप्ता, आशीष व निखिल अग्रवाल जेरे जमानत उपस्थित हैं। अभियुक्तगण संजय गुप्ता, अनुज गुप्ता, विनय अग्रवाल एवं अपूर्व अग्रवाल की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज के लिये स्वीकृत। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 व ख–235 नियत है। प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 ख–235 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व नियत दिनॉक पर सुना जा चुका है।

02• दोनों प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 व ख–235 अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 एक ही आशय से सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, दीपांशु उर्फ दीपू, संजीव सिंघल, अर्पित, अरविन्द अग्रवाल, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, रजनीश अग्रवाल, मोनू, घनश्याम दास गुप्ता, सन्जू एवं राजू को बतौर अभियुक्तगण तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दोनों प्रार्थनापत्र का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0 ख–46 व ख–235

03• अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थिनी/पीड़िता प्राची अग्रवाल (वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल की पुत्री एवं मृतक प्रबल अग्रवाल की बहन) द्वारा प्रार्थनापत्र ख–235 अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त केस की घटना जजी कम्पाउण्ड के सामने सिविल लाईन बिजनौर स्थित शहनाई बैंकट हॉल की है, जिसमें पीड़िता प्राची गवाह पी0डब्लू0–6 के इकलौते भाई की अग्रसैन जयन्ती समारोह में षड्यन्त्र के तहत घर से बुलवाकर घेरकर मारपीट कर लाश गंगा बैराज पर फेंकी गयी थी, जिसमें शहर बिजनौर में अत्यन्त रोष हत्यारों के विरुद्ध हुआ था। विवेचना के वक्त घटना में शामिल हत्यारों में कुछ को पुलिस ने पकड़ा, जिनके विरुद्ध सुनवाई चल रही है तथा विवेचना में आये घटना में शामिल रहे शेष मुल्जिमानों में आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थनापत्र दिये उस पर विवेचक द्वारा

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.02.12 10:36:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वांछित होने की रिपोर्ट दी गयी फिर भी शेष बचे मुल्जिमानों ने आत्मसमर्पण न कर माननीय उच्च न्यायालय की शरण वास्ते गिरफ्तारी न होने के लिये ली। माननीय उच्च न्यायालय ने शेष बचे मुल्जिमानों को सरेण्डर करने के आदेश दिये हैं, इसके बावजूद शेष बचे मुल्जिमानों ने कभी भी न्यायालय में सरेण्डर नहीं किया तथा बार–बार विवेचक को बदला गया। इस सम्बन्ध में जनता का आक्रोश भी तमाम समाचार–पत्रों में छपा जिनकी कॉपी पत्रावली पर है। साक्षी पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा हो चुकी है एवं साक्षी पी0डब्लू0–10 अनुराग रस्तौगी व साक्षी पी0डब्लू0–17 राज कुमार अग्रवाल ने भी अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में नामजद अभियुक्तों के अलावा अन्य 13 व्यक्तियों के नाम बयानों में लिया है, जिसमें विचाराधीन मुल्जिमानों के अलावा शेष बचे पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये गये अन्य 13 व्यक्ति जिनके नाम पते निम्न हैं, को चश्मदीद साक्षीगण ने घटना करना बताया है, जिनके नाम व पते निम्न हैं तथा इन मुल्जिमानों द्वारा दिये गये सरेण्डर प्रार्थनापत्र, उन पर वांछित रिपोर्ट फिर न्यायालय द्वारा सरेण्डर होने के आदेश की मूल प्रतियों के साथ इनके गिरफ्तारी वारण्ट व पत्रावली पर उपलब्ध तमाम प्रपत्रों को गवाह प्राची अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी एवं राजकुमार अग्रवाल चश्मदीद साक्ष्यों ने साबित किया है तथा पूरी घटना को बताया है। बयान गवाह मुख्य परीक्षा में विचाराधीन मुल्जिमानों के अलावा निम्न व्यक्तियों का घटना करना बताया है, जिनके नाम सचिन अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल पुत्र रोशन अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल पुत्र विनय अग्रवाल, दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र विजय अग्रवाल, संजीव सिंघल पुत्र शैलेन्द्र, अर्पित पुत्र संजीव, अरविन्द अग्रवाल पुत्र चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, अजय अग्रवाल उर्फ राजू पुत्र ब्रजनन्दन, रजनीश अग्रवाल पुत्र त्रिलोकी अग्रवाल, मोनू पुत्र रजनीश, घनश्यामदास गुप्ता पुत्र गणेशी, सन्जू पुत्र घनश्यामदावास एवं राजू पुत्र सन्तोष है। उक्त मुल्जिमान को बतौर अभियुक्तगण तलब करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर है। अतः उपरोक्त नाम के मुल्जिमानों को बतौर अभियुक्तगण तलब किये जाने की याचना की गयी है।

इसी आशय का प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थिनी/पीड़िता प्राची अग्रवाल (वादी मुकदमा की पुत्री एवं मृतक की बहन) द्वारा पूर्व में दिनांक 15–12–2017 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आशीष की ओर से आपत्ति कागज सं0 ख–51 प्रस्तुत की गयी थी। प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 भी इन्हीं मुल्जिमानों को तलब किये जाने हेतु दिया गया था, जिसे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा यह उल्लिखित करते हुए कि इस साक्षी (पी0डब्लू0–6) की जिरह होने के पश्चात् इस प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित किया जायेगा। अतः दोनों प्रार्थनापत्र एक ही आशय के होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में क्रिमिनल अपील सं0 298–299/2021 सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 15–03–2021 की विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है।

04• अभियुक्तगण संजय आदि की ओर से आपत्ति कागज सं0 ख–237 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादी पक्ष ने एक प्रार्थनापत्र धारा 319 दं0प्र0सं0 का गवाह पी0डब्लू0–6, प्राची अग्रवाल, पी0डब्लू0–10 अनुराग रस्तौगी एवं पी0डब्लू0–17 राज कुमार अग्रवाल के न्यायालय में हुए बयानों के आधार पर प्रार्थनापत्र में अंकित व्यक्तियों को बतौर मुल्जिम तलब कराने की बाबत दिया है। वाद उपरोक्त में कुल सत्रह गवाहों का बयान हुआ है, पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल तफ्तीश के समय तक चश्मदीद गवाह नहीं थी, उसका धारा 161 दं0प्र0सं0 का कोई बयान नहीं है। साक्षी पी0डब्लू0–17 राजकुमार अग्रवाल तफ्तीश के गवाह नहीं हैं, उनको धारा 311 दं0प्र0सं0 में वादिनी ने तलब कराया है। साक्षी पी0डब्लू0–6, पी0डब्लू0–10 एवं पी0डब्लू0–11 ने न्यायालय में जो भी बयान दिया है, वह पहली बार दिया है। विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यह बयान कथित घटना के कई वर्ष बाद दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 319 दं0प्र0सं0 के सम्बन्ध में बहुत सारी विधि व्यवस्था दी हैं तथा निर्धारित सिद्धान्त का सरलीकरण किया है। वादी पक्ष के प्रार्थनापत्र धारा 319 दं0प्र0सं0 में धारा 319 दं0प्र0सं0 का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप तात्विक तत्वों की कमी है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 319 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने पर बल दिया गया है।

05• सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

06• पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल द्वारा दिनांक 23–12–2012 को थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर में लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि ''मेरा पुत्र प्रबल अग्रवाल दिनांक 19–12–2012 को रात्रि 08:00 बजे शहनाई बैंकेट हाल में आयोजित अग्रसैन जयन्ती समारोह में आशीष अग्रवाल एवं सचिन अग्रवाल के साथ गया था। वहां मौजूद कुछ लड़के जिसमें दीपू पुत्र विजय अग्रवाल लच्छूमल का पौता व अजय अग्रवाल उर्फ राजू पुत्र बृजनन्दन अग्रवाल, धनश्याम दास गुप्ता चक्की वालों का छोटा लड़का नई बस्ती अरविन्द कुमार पुत्र चन्द्रप्रकाश वैरायटी पैलेस सदर बाजार आदि ने मिलकर मेरे पुत्र को बाहरी व्यक्ति समझकर बुरी तरह से मारापीटा कुछ व्यक्तियों ने बीच बचाव कर छुड़ाने की कोशिश की, परन्तु उक्त लड़के शराब के नशे में धुत्त थे तथा लड़के को पुनः मारपीट करते हुए अन्यत्र कहीं ले गये तभी से मेरे पुत्र का अभी तक कुछ पता नहीं है। मुझे किसी अनहोनी की आशंका है। उक्त प्रकरण मेरे द्वारा लिखित प्रार्थनापत्र गुमशुदगी का दिनांक 21–12–2012 को थाना कोतवाली में दे दिया गया था। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण में मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करते हुए, मेरे पुत्र का शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाया जाय।

07• वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर बिजनौर पर मुकदमा अपराध सं0 1103/2012 अन्तर्गत धारा 364 भा0दं0सं0 का अभियोग अभियुक्तगण दीपू, लच्छूमल का पौता नाम पता अज्ञात, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, घनश्यामदास गुप्ता चक्की वालों का छोटा लड़का एवं अरविन्द कुमार के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी एवं विवेचना

उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता, रीशू एवं अनुज गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 149, 364, 302, 201 भा0दं0स0 विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता, रीशू एवं अनुज गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 147, 364/149, 302/149, 201 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया तथा अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू–1 परवीन कुमार, पी0डब्लू–2 मुकेश कुमार अग्रवाल, पी0डब्लू0–3 शौराज सिंह, पी0डब्लू0–4 मदन, पी0डब्लू0–5 सोनू शर्मा, पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल (वादी मुकदमा की पुत्री एवं मृतक की बहन), पी0डब्लू0–7 अतुल कुमार अग्रवाल, पी0डब्लू0–8 डा0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू0–9 सेवानिवृत्त कांस्टेबिल किशोरी लाल, पीडब्लू0–10 अनुराग रस्तौगी, पी0डब्लू0–11 अरविन्द कुमार, पी0डब्लू0–12 सेवानिवृत्त उप–निरीक्षक अब्दुल सलाम, पी0डब्लू0–13 सेवानिवृत्त सी0ओ0 सुनील कुमार, पी0डब्लू0–14 सी0ओ0 ट्रेफिक राकेश वशिष्ठ, पी0डब्लू0–15 सेवानिवृत्त सी0ओ0 सूर्यनाथ यादव, पी0डब्लू0–16 डी0एस0पी0 गिरीश चन्द शर्मा, पी0डब्लू0–17 राजकुमार अग्रवाल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

08• वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–47 एवं ख–235 के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया जाये तो पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल (वादी मुकदमा की पुत्री एवं मृतक की बहन) ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि 'मृतक प्रबल अग्रवाल उसका इकलौता सगा छोटा भाई था। उसके पिता का नाम स्व0 आलोक अग्रवाल है। उसके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। उसके भाई प्रबल अग्रवाल को दिनांक 19–12–2012 को शाम करीब 7:30 बजे उसकी मम्मी सुमन अग्रवाल, पिता आलोक अग्रवाल व उसके सामने अभियुक्त आशीष अग्रवाल लेकर गया। आशीष अग्रवाल घर के अन्दर आया था और वह प्रबल अग्रवाल को बुलाकर ले गया था। घर के बाहर सचिन अग्रवाल खड़ा था। उसने अपने भाई को आशीष व सचिन के साथ जाते हुए देखा। ये लोग प्रबल को अग्रसैन जयन्ती सिविल लाईन शहनाई बैंकेट हाल में हो रहे अग्रवाल समाज के समारोह में बुला कर ले गये थे। प्रबल के जाने के लगभग आधा घंटा बाद वह भी आस–पड़ौस की दो अन्य महिलाओं के साथ अग्रसैन समाज का समारोह में शहनाई बैंकेट हॉल गयी थी। वह महिलाओं के साथ बैठ गयी तथा उसका भाई प्रबल अभियुक्त आशीष उर्फ आशु के साथ था। उसने लगभग 08:45 बजे रात देखा कि कुछ व्यक्ति जिनमें अरविन्द अग्रवाल, अनुज गुप्ता, संजू गुप्ता, दिपांशु अग्रवाल, अजय अग्रवाल, संजय गुप्ता भी थे, एक व्यक्ति को लात–घूसों से मारपीट रहे थे। जब मारपीट हो रही थी तब उसने यह पहचाना नहीं था कि यह लोग उसके भाई प्रबल को मारपीट रहे थे, क्योंकि भीड़ थी और वह महिलाओं में खड़ी थी। उसने अजय अग्रवाल, दीपांशु उर्फ दीपू, संजू अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल को उस व्यक्ति से लात–घूसों से मारपीट करते देखा था। यह घटना शहनाई बैंकेट हाल में हुई थी, जिसके पास खाना चल रहा था। बैंकेट हॉल से पीछे की तरफ गली में एक गेट निकलता है, जिससे

अभियुक्तगण उस व्यक्ति को खींच कर ले गये थे। जब यह मारपीट हो रही थी तब उसे अपना भाई प्रबल व अभियुक्त आशीष व सचिन दिखायी नहीं दिये। वह अपने भाई को ढूंढ़ती हुई बैंकेट हॉल के उस गेट से जो जजी के सामने खुलता है, मुख्य सड़क पर आयी तो वहां पर उसने देखा कि एक मोटर साईकिल पर आगे आशीष बैठा है व पीछे सचिन बैठा है। यह लोग मोटर साईकिल स्टार्ट कर रहे थे। यह दोनों लोग हड़बड़ाये हुये थे। वह इनके पास दौड़कर गयी तथा आशीष से पूछा कि 'मेरा भाई कहा है, तो आशीष ने उत्तर दिया कि आप भी मत जाईये वरना मार देंगे।' फिर यह दोनों मोटर साईकिल स्टार्ट करके वहां से बैराज की तरफ भाग गये। वह पैदल शक्ति चौराहे की तरफ चलने लगी तथा शहनाई बैंकेट हाल के दूसरे गेट से मिली हुई गली के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक कार शक्ति चौराहे की तरफ से आकर गली के पास रूकी। शहनाई बैंकेट हाल के दूसरे गेट से कार तक दीपांशु उर्फ दीपू, अजय अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, विनय, संजय गुप्ता, रविन्द्र अग्रवाल, घनश्याम दास गुप्ता, निखिल एक व्यक्ति को खींच कर लाये तथा कार में डाला। कार में डालते समय उसने उस व्यक्ति की शक्ल देखी थी जो उसका भाई प्रबल अग्रवाल था। इस कार की ड्राईवर सीट पर राहुल गुप्ता बैठा था तथा पास में संजय गुप्ता बैठा था तथा कार में पीछे दो–तीन व्यक्ति बैठे थे, जिनमें दीपांशु अग्रवाल, अनुज अग्रवाल व अजय अग्रवाल थे। वह हड़बड़ायी और कहा कि ''यह मेरा भाई है, इसे कहां ले जा रहे हो।'' घनश्याम दास गुप्ता, अरविन्द अग्रवाल तथा दो–तीन अन्य लोग सड़क पर खड़े थे, जिनसे उसने उपरोक्त बात कही। कार में प्रबल को डालते ही कार चल पड़ी। फिर उसने घर पहुंचकर पापा, मम्मी को उपरोक्त सभी बात बतायी। फिर वह व उसके पापा शहनाई बैंकेट हॉल आये। वहां पर तब तक शांति का वातावरण हो गया था। अगले दिन वह, उसके पापा तथा पापा के एक दोस्त अरविन्द अग्रवाल, अजय अग्रवाल, दीपांशु, संजय गुप्ता की दुकान पर पहुंचे तो यह लोग रोजाना की भांति दुकान खोले बैठे थे तथा इन्होंने कहा कि प्रबल के बारे में हमें कुछ नहीं पता और आप का लड़का आ जायेगा, यह कहते रहे। दिनांक 21–12–2012 को उसके पापा व कुछ सम्बन्धी मामा, चाचा थाना कोतवाली शहर गये तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। गुमशुदगी लिखने के बाद मुल्जिमान हम लोगों के यहां चक्कर काटने लगे। दिनांक 22–12–2012 को रजनीश अग्रवाल, घनश्याम दास गुप्ता, संजय गुप्ता, विजय अग्रवाल (दीपांशु के पापा) और रविन्द्र अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अरविन्द अग्रवाल हमारे यहां लगभग शाम 6:00 बजे आये और कहा कि आपका बेटा आ जायेगा, आप रिपोर्ट में नाम दर्ज न करें। उसके बदले हम से चैक ले लें। खाली चैक रजनीश अग्रवाल ने उसके पापा, उसे व मम्मी को दिखाया और कहा कि जितने रुपये चाहे इस चैक में भर ले। पापा ने कहा कि ''भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा बेटा लौटा दो।'' फिर 25–12–2012 को एक मीटिंग शम्भा बाजार बिजनौर में रजनीश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल आदि ने बुलायी थी, जिसमें उसे भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में पापा, वह, राजकुमार अग्रवाल, अनुपम रस्तौगी, अतुल अग्रवाल आदि लोग आये थे। यह मीटिंग प्रबल अग्रवाल के बाबत थी। जब हम मीटिंग में पहुंचे तो मुल्जिमान जिनमें आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल नमकीन वाले, विनय अग्रवाल,

संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल और उसके पापा अरविन्द अग्रवाल थे, मौजूद थे। पापा के सामने यह लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गये कि अग्रवाल साहब आपका बेटा हमसे मारा गया। इन लोगों ने दुबारा खाली चैक दिखाया और कहा कि जितना मन हो, उतना रुपया भर लो। उसके पापा ने डी0एम0, आई0जी0, मुख्यमंत्री आदि को प्रार्थनापत्र दिये, जिनकी प्रतिलिपि पत्रावली में है। उसके भाई की दुकान रामलीला मैदान के सामने थी। वहां बुधवार व रविवार को लगने वाले अवैध पैठ से वसूली करते थे। भाई की दुकान के बाहर भी पैठ लगती थी, जिसका विरोध भाई कभी–कभी कर देता था जिस पर कुछ फड़ वाले उगाही देने से मना करने लगे, जिसमें संजय गुप्ता, विनय आदि की भाई से बोलचाल हो जाती थी, जिसके बारे में भाई हमें घर आकर बताता था। इन लोगों ने हमसे ये कहा कि 'तुझे देख लेगें अर्थात् भाई से कहा कि तुझे देख लेगें।' बाद में हम लोगों की समझ में आया कि इन लोगों ने एक राय होकर षड्यन्त्र रचकर मेरे भाई की हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी है। विचाराधीन मुल्जिम के अलावा जो उसके भाई की घटना कारित करने में शामिल थे सचिन अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल आवास विकास कालोनी बिजनौर, रविन्द्र अग्रवाल पुत्र रोशन लाल अग्रवाल (नमकीन वाले) मौ0 जाटान बिजनौर, दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र विजय अग्रवाल (लक्छूमल का पौता) मौ0 जाटान बिजनौर, अक्षत अग्रवाल पुत्र विनय अग्रवाल मौ0 जाटान बिजनौर, संदीप सिंघल पुत्र साकेन्द्र राम का चौराहा निकट तहसील बिजनौर, अर्पित सिंघल पुत्र संजीव सिंघल नि0 मौ0 राम का चौराहा निकट तहसील जिला बिजनौर, अरविन्द अग्रवाल पुत्र चन्द्रप्रकाश अग्रवाल (वैरायटी वाले) निकट पंचवटी कालोनी नई बस्ती बिजनौर, अजय उर्फ राजू पुत्र बृजनन्नदन (गंज क्लाथ हाऊस) नई बस्ती (नीलकमल टॉकीज के पास) बिजनौर, घनश्याम दास गुप्ता पुत्र गणेशी (गुप्ता चक्की वाले) नई बस्ती बिजनौर, सन्जू पुत्र घनश्याम दास (गुप्ता चक्की वाले) नई बस्ती बिजनौर, रजनीश अग्रवाल पुत्र त्रिलोकी (बाबूराम साईकिल वाले) नई बस्ती बिजनौर, मोनू पुत्र रजनीश नई बस्ती बिजनौर, राजू पुत्र संतोष (शहनाई बैंकेट हॉल) नि0 झालू थाना हल्दौर बिजनौर। इन सभी लोगों ने भी दुश्मनी के कारण एकराय होकर षड्यन्त्र रचकर उसके भाई को घर से आशीष और सचिन के द्वारा बुलाकर घेराबंदी करके मार कर घसीटकर पिछले दरवाजे शहनाई बैंकेट हॉल से गाड़ी में डालकर गायब कर दिया था।' फर्द पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रभारी कोतवाली बिजनौर को दिया पत्र दिनांकित 21–12–2012 प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2, प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–12–2012 प्रदर्श क–3, फर्द बरामदगी एक अदद मोबाइल नोकिया प्रदर्श क–4, मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार को दिये प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–5, आई0जी0 (पुलिस) मुरादाबाद दिनांकित 23–05–2013 प्रदर्श क–6, डी0आई0जी0 (पुलिस) मुरादाबाद दिनांकित 23–05–2013 प्रदर्श क–7, पुलिस कमिश्नर लखनऊ को दिये प्रार्थनापत्र दिनांकित 27–12–2012 प्रदर्श क–8, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 193 दं0प्र0सं0 20–03–2017 प्रदर्श क–9 एवं जिलाधिकारी मेरठ को दिये प्रार्थनापत्र दिनांकित 16–01–2013 प्रदर्श क–10 को साबित किया है। इस साक्षी की जिरह को देखा जाय तो साक्षी ने जिरह में कहा है कि घटना के बारे में विवेचक ने उससे पूछताछ की थी, बयान लिया था। पुलिस स्टेशन गयी थी तब भी उसका बयान

लिया था। तब तक लाश नहीं मिली थी। वह अंदाजे से नहीं बता सकती कि कितनी बार बयान लिया था। ''यह बात मेरे भाई प्रबल अग्रवाल को दिनांक 19–12–2012 को शाम करीब 07:30 बजे मेरी मम्मी सुमन अग्रवाल पिता आलोक अग्रवाल व मेरे सामने अभियुक्त आशीष अग्रवाल लेकर गया।'' वह विवेचक को बतायी थी, यदि नहीं लिखा है तो वजह नहीं बता सकती। यह बात भी पुलिस को बतायी थी कि अग्रसेन समाज के समारोह में शहनाई बैंकट हॉल में गयी थी, दरोगा जी को बतायी थी, नहीं लिखा है तो कारण नहीं बता सकती। जिरह के पेज 18 पर कहा है कि यह बात कि उसने गाड़ी में डालते समय शक्ल देखी थी, विवेचक को बतायी थी, यदि उन्होंने नहीं लिखा है तो वजह नहीं बता सकती। यह बात कि उसने अजय अग्रवाल, दीपांशु उर्फ दीपू, संजू अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल को उस व्यक्ति को लात–घूसों से मारपीट करते देखा था, दरोगा जी को बतायी थी, यदि नहीं लिखी तो वजह नहीं बता सकती। जिरह के पेज–34 पर कहा है कि यह बात सही है कि प्रदर्श क–1 गुमशुदगी है। प्रदर्श क–2 उसके पिता द्वारा लिखायी गयी है, जिसमें यह अंकित है कि जानकारी में आया है कि शहनाई बैंकट हॉल में उसके (मृतक प्रबल) साथ मारपीट की थी। जिरह के पेज 35 पर कहा है कि ''मुझे नहीं पता कि फंगशन किस समय शुरू हुआ था, फंगशन में श्री चितरंजन स्वरूप मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले थे। अरविन्द अग्रवाल ने कहा था कि मंत्री जी आने वाले हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि मंत्री जी आये थे या नहीं।'' इसी पेज पर आगे यह भी कहा है कि ''मैं जब आयी तो फंगशन चल रहा था। शक्ति चौराहे पर पुलिस पिकेट रहती है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची वहां पर पुलिस नहीं थी।'' इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य को देखा जाय तो इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि शहनाई बैंकट हॉल में अग्रसैन समाज के फंगशन में उसका भाई प्रबल अग्रवाल उस दिन था और उसने प्रस्तावित अभियुक्तगण के द्वारा एवं अन्य मुल्जिमान द्वारा उसके भाई को मारपीट करते हुए व गाड़ी में डालते देखा था। जबकि जिरह में स्वीकार किया है कि घटना की तहरीर उसके पिता आलोक अग्रवाल द्वारा गुमशुदगी के रूप में दी गयी थी। बाद में प्रदर्श क–2 तहरीर भी उसके पिता द्वारा दी गयी थी। यहां जीवन्त प्रश्न यह है कि यदि इतनी बड़ी घटना को मृतका की बहन साक्षी पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल ने देखा था और स्वीकृत रूप से उसने अपने पिता से उसके भाई को ले जाने वाले अभियुक्तगण को देखा व पहचाना था तब ऐसे में इन प्रस्तावित अभियुक्तगण का नाम भी तहरीर में क्यों नहीं लिखाया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं है।

09• साक्षी पी0डब्लू–10 अनुराग रस्तौगी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि 'दिनांक 15–01–2013 को उसे सूचना मिली थी कि एक लाश गंगा जी में मिली है। यह सूचना उसे आलोक अग्रवाल ने दी थी। वह उनके साथ व पुलिस के साथ थाना हस्तिनापुर मेरठ की पुलिस के साथ गंगाजी पर गया था। वहां पर पहले से ही हस्तिनापुर की पुलिस मौजूद थी। लाश को आलोक अग्रवाल ने अपने बेटे प्रबल अग्रवाल की पहचान की थी और उसने भी प्रबल अग्रवाल की लाश को पहचाना था। पुलिस ने उसके सामने प्रबल अग्रवाल की लाश का पंचायतनामा भरा

था तथा उसे पंच नियुक्त किया था। आलोक अग्रवाल उसकी बुआ के लड़के थे। उसे, प्राची व उसके भाई आलोक ने बताया था कि दिनांक 19–12–2012 को समय करीब 07:30 बजे शाम आशीष उर्फ आशु व सचिन प्रबल को घर से बुलाकर ले गये थे और उसी दिन शाम को समय करीब 08:45 बजे प्रबल के साथ अतुल अग्रवाल, दीपांशु उर्फ दीपू, अनुज अग्रवाल, संजू अग्रवाल, संजय गुप्ता, अजय अग्रवाल, विनय अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल, अरविन्द अग्रवाल ने शहनाई बैंकेट हॉल बिजनौर में मारपीट की थी, उसके बाद ये लोग उसे शिफ्ट कार में डालकर ले गये थे। दिनांक 25–12–2012 को प्रबल की हत्या के बारे में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उसे भी बुलाया था। उस मीटिंग में रजनीश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, आशु अग्रवाल, अरविन्द अग्रवाल, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु उर्फ दीपू, प्राची अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, आलोक अग्रवाल भी थी। इस मीटिंग में उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि ''तुम्हारा लड़का हमसे मारा गया जो वापस तो नहीं आ सकता बदले में एक ब्लैंक चैक दिखाते हुए कहा कि इसमें जितनी चाहों रकम भर लो'' परन्तु आलोक अग्रवाल ने चैक लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मेरा इकलौता लड़का था मैं यह चैक कैसे ले सकता हूं, आपके तो दो–दो, तीन–तीन बेटें हैं। यह कहकर आलोक अग्रवाल व प्राची रोने लगे थे।'

10• साक्षी पी0डब्लू–17 राज कुमार अग्रवाल ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि 'वह घर से लगभग 8–08:15 बजे शाम दिनांक 19–12–2012 को निकला था। वह शक्ति से जजी रोड़ पर जा रहा था। शहनाई बैंकेट हॉल से पहले ही उसने देखा दीपू उर्फ दीपांशु, रविन्द्र, निखिल अग्रवाल, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, अजय अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, धनश्याम दास गुप्ता एक व्यक्ति को खींचते हुए मारते हुए ला रहे हैं। उस व्यक्ति को कार की पीछे की डिग्गी में डाल लिया। कार शहनाई बैंकेट हॉल के बराबर की गली में कार में चार लोग बैठे हैं– संजय गुप्ता, दीपू उर्फ दीपांशु, अनुज अग्रवाल, अजय अग्रवाल तथा वह लगभग 10–12 फिट पीछे यह देखकर हट गया। दिनांक 25–12–2012 को रजनीश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल आदि ने बाजार शम्भा में एक मीटिंग बुलायी, जो मृतक प्रबल अग्रवाल के सम्बन्ध में थी। उस मीटिंग में वह स्वयं उपस्थित था। साथ में आलोक अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश, अनुराग रस्तौगी पुत्र राम कुमार रस्तौगी, प्राची अग्रवाल पुत्री आलोक अग्रवाल भी उपस्थित थे। मीटिंग में दीपू उर्फ दीपांशु, रविन्द्र अग्रवाल, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, अरविन्द अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, धनश्याम दास गुप्ता उपस्थित थे। रजनीश अग्रवाल ने चैक बढ़ाते हुए आलोक अग्रवाल को पेश करते हुए कहा कि ''आपका लड़का प्रबल अग्रवाल मारा गया। हम क्षमा मांगते हैं, इसमें जितना चाहे उतना धन भर लो, केस वापस लो।'' आलोक अग्रवाल ने चैक लेने को मना कर दिया फिर पुनः चैक देने की कोशिश की, केस वापस करने को मना किया। इस पर उसके बहनोई आलोक अग्रवाल जी ने कहा ''मेरा इकलौता बेटा था, आपके के दो–तीन बेटे हैं यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप पर कैसा बीतेगा'' तो इस बात को सुनकर सब लोग उठकर चलने लगे। धमकी देते हुए सब लोग बोले तेरे लड़के प्रबल अग्रवाल को तो हमने मार दिया, तुझे व तेरे परिवार को

भी देख लेंगे।'

11• इस प्रकार उक्त साक्षीगण पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल, पी0डब्लू0–10 अनुराग रस्तौगी एवं पी0डब्लू–17 राज कुमार अग्रवाल की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जाये तो उक्त साक्षीगण ने अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रार्थिनी/पीड़िता प्राची अग्रवाल (वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल की पुत्री एवं मृतक प्रबल अग्रवाल की बहन) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–46 एवं ख–235 में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया है।

12• धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता यह प्राविधानित करती है कि

01. जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

02. जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

03. कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

04. जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है वहां–

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

13• पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट नामित अभियुक्तगण दीपू, लच्छूमल का पौता नाम पता अज्ञात, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, घनश्यामदास गुप्ता चक्की वालों का छोटा लड़का एवं अरविन्द कुमार के विरूद्व दर्ज की गई तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता, रीशू एवं अनुज गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 149, 364, 302, 201 भा0दं0स0 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–6 श्रीमती प्राची अग्रवाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में 'विचाराधीन मुल्जिम के अलावा जो उसके भाई की घटना कारित करने में मुल्जिमान सचिन अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल पुत्र रोशन लाल अग्रवाल (नमकीन वाले), दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र

विजय अग्रवाल (लच्छूमल का पौता), अक्षत अग्रवाल पुत्र विनय अग्रवाल, संदीप सिंघल पुत्र साकेन्द्र, अर्पित सिंघल पुत्र संजीव सिंघल, अरविन्द अग्रवाल पुत्र चन्द्रप्रकाश अग्रवाल (वैरायटी वाले), अजय उर्फ राजू पुत्र बृजनन्नदन (गंज क्लाथ हाऊस), घनश्याम दास गुप्ता पुत्र गणेशी (गुप्ता चक्की वाले), सन्जू पुत्र घनश्याम दास (गुप्ता चक्की वाले), रजनीश अग्रवाल पुत्र त्रिलोकी (बाबूराम साईकिल वाले), मोनू पुत्र रजनीश, राजू पुत्र संतोष (शहनाई बैंकेट हॉल) का हाथ होना बताया है और इन सभी लोगों ने भी दुश्मनी के कारण एकराय होकर षड्यन्त्र रचकर उसके भाई को घर से आशीष और सचिन के द्वारा बुलाकर घेराबंदी करके मार कर घसीटकर पिछले दरवाजे शहनाई बैंकेट हॉल से गाड़ी में डालकर गायब कर दिये जाने कथन किया गया है। इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 को देखा जाय तो इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में कहा है कि 'अभी जो बयान आपको मेरे पापा व मम्मी ने दिये हैं, मेरे भी वही बयान हैं।' यदि इस साक्षी ने सभी मुल्जिमान द्वारा दिनांक 19–12–2012 को शहनाई बैंकट हॉल बिजनौर में घटना कारित करते हुए देखा तो दिनांक 21–12–2021 को गुमशुदगी प्रदर्श क–1 क्यों लिखायी गयी। अभियुक्तगण को नामजद करते हुए तहरीर क्यों नहीं दी गयी, इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी द्वारा अपने बयानों में दर्शित नहीं किया गया है। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–10 अनुराग रस्तौगी ने न्यायालय में दिये गये अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 15–01–2013 को वह आलोक अग्रवाल के द्वारा सूचना मिलने पर उनके साथ व पुलिस के साथ थाना हस्तिनापुर मेरठ की पुलिस के साथ गंगाजी जाना, लाश को आलोक अग्रवाल ने अपने बेटे प्रबल अग्रवाल की पहचानना एवं उसके सामने प्रबल अग्रवाल की लाश का पंचायतनामा भरे जाने कथन किया है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया है कि दिनांक 25–12–2012 को प्रबल की हत्या के बारे में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उसे भी बुलाया था। उस मीटिंग में रजनीश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, आशु अग्रवाल, अरविन्द अग्रवाल, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु उर्फ दीपू, प्राची अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, आलोक अग्रवाल भी थी। मीटिंग में उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि ''तुम्हारा लड़का हमसे मारा गया जो वापस तो नहीं आ सकता बदले में एक ब्लैंक चैक दिखाते हुए कहा कि इसमें जितनी चाहों रकम भर लो'' परन्तु आलोक अग्रवाल ने चैक लेने से मना कर दिया था, परन्तु इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में मात्र यह कहा है कि 'दिनांक 15–01–2013 को मेरे सामने गंगा नदी ग्राम खेड़ी घाट थाना हस्तिनापुर के क्षेत्र में प्रबल कुमार की लाश मिली थी, जिसका उसके सामने पंचायतनामा दरोगा जी ने भरकर लाश सील बन्द कर पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर कराये थे।' अर्थात् यह मृतक के शव का पंचायतनामा का ही गवाह है। साक्षी पी0डब्लू0–17 राजकुमार अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त साक्षी पी0डब्लू0–10 की भांति ही बयान दिया है तथा इस साक्षी ने वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल को अपना बहनोई होना बताया है। केस डायरी के अवलोकन से यह विदित है कि विवेचनाधिकारी द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–17 राजकुमार अग्रवाल के बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित नहीं किये गये हैं। अतः यह साक्षी वादी के प्रार्थनापत्र पर आहूत कर परीक्षित किया गया है

और यह साक्षी वादी का साला है यानि रिलेटिव विटनेस है।

14• इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है और उसकी अन्य अभियुक्तगण के साथ अपराध किये जाने में संलिप्तता हो तब उसे अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **सुमन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2010 (एस0सी0) 518** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु सेशन न्यायालय तलब कर सकती है, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में हो, परन्तु उसके विरुद्ध न तो आरोप पत्र प्रेषित किया गया है और न ही उसे सेशन न्यायालय सुपुर्द किया गया है। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **भोलू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य व अन्य (2008) 9 एस0सी0सी0 140** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि विचारण के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि संकलित साक्ष्यों के आधार पर किसी अन्य व्यक्तियों ने भी अपराध किया है, जिसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है तो सम्बन्धित न्यायालय ऐसे अभियुक्त को भी अन्य अभियुक्त के साथ विचारण हेतु धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत तलब कर सकती है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 319 दं0प्र0सं0 के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय की अधिकारिता के बिन्दु पर विधि व्यवस्था **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब (2014) 3 एस0सी0सी0 92** में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि धारा 319 दं0प्र0सं0 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय को सन्तुष्ट होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को विचारण हेतु तलब किया जाना है, उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य से गुरूतर श्रेणी का साक्ष्य उपलब्ध हो और यदि उस साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया तो ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है, उस दशा में धारा 319 दं0प्र0सं0 के अधीन ऐसे अभियुक्त को अन्य अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया जा सकता है और धारा 319 दं0प्र0सं0 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग निर्णय पारित होने के पूर्व, विचारण के दौरान, आरोप विरचित होने के पश्चात् किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

15• पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण दीपू, लच्छूमल का पोता नाम–पता अज्ञात, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, घनश्याम दास गुप्ता चक्कीवालों का छोटा लड़का एवं अरविन्द कुमार को नामित करते हुए वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल द्वारा दिनांक 23–12–2012 को अंकित करायी गयी। इससे पूर्व दिनांक 21–12–2012 को वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली शहर पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि ''मेरा पुत्र प्रबल अग्रवाल दिनांक 19–12–2012 की रात्रि 08:00 बजे महाराजा अग्रसैन जयन्ती समारोह में शहनाई बैंकेट हॉल बिजनौर में आया था, वह आज तक वापिस नहीं आया। सभी जगह व रिश्तेदारियों में मैंने तलाश कर लिया। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे लड़के की तलाश करने का कष्ट करें।'' यदि वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल एवं साक्षी पी0डब्लू0–7 प्राची अग्रवाल ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा

319 दं0प्र0सं0 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करते हुए देखा गया था तो उनके द्वारा उसी दिन सभी मुल्जिमानों को नामित करते हुए तहरीर क्यों नहीं दी गयी। इसका कोई स्पष्टीकरण बयानों में नही दिया गया है। यह अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि एक बहन अपने भाई को मुल्जिमानों द्वारा हत्या करने के इरादे से गाड़ी में डालकर ले जाते हुए देखी हो और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण का नाम न लिखाया हो। प्रस्तुत मामले में अब तक कुल 17 गवाह परीक्षित कराये जा चुके हैं। पत्रावली बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर है। प्रस्तुत मामले की घटना वर्ष 2012 की है एवं प्रस्तुत सत्र परीक्षण वर्ष 2016 का है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण प्राचीनतम वादों में से एक है तथा **एक्शन प्लान** के अन्तर्गत चिन्हित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राचीनतम मामले को और अधिक विलम्बित रखने के आशय से प्रार्थिनी प्राची अग्रवाल की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 व ख–235 प्रस्तुत किये गये हैं।

16• अतः उपरोक्त अभिनिर्णयों में दी गयी विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, दीपांशु उर्फ दीपू, संजीव सिंघल, अर्पित, अरविन्द अग्रवाल, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, रजनीश अग्रवाल, मोनू, घनश्यामदास गुप्ता, सन्जू एवं राजू को धारा 147, 149, 364, 302, 201 भा0दं0स0 के अन्तर्गत तलब किया जाकर अन्य अभियुक्तगण के साथ उनका विचारण किया जाने हेतु सम्यक् साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 एवं ख–235 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

17• प्रार्थिनी/पीड़िता प्राची अग्रवाल (वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल की पुत्री एवं मृतक प्रबल अग्रवाल की बहन) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–46 एवं ख–235 अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 17–02–2026 को पेश हो। सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।
UP06041